



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट सोनभद्र - (उ०प्र०)



☎ 05446-252020

PIN Code: 231217

Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक- 2454/ रेनुकूट / 15-117 रेनुकूट, दिनांक, जनवरी, 11, 2019
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषय:- जनपद-सोनभद्र में कनहर सिचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों का पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात् कुल 127.1637 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में ।

संदर्भ:- 1- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या- 8बी/यू.पी. /02/31/2018/एफ.सी./219 दिनांक- 20.08.2018
2- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्र संख्या- 398/11-सी-एफ०पी०/यू.पी./Irrig /20269/2016 लखनऊ दिनांक- 21 अगस्त 2018
3- आपका पत्र संख्या-914/मी०/33 दिनांक- 04.09.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें । प्रश्नगत प्रकरण में प्रभावित वन भूमि एवं क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्राप्त होने वाले समुत्तल्य गैर वन भूमि का निरीक्षण, श्री के०के० तिवारी, वन संरक्षक, केन्द्रीय महोदय द्वारा दिनांक- 24.05.2018 को किया गया था । स्थलीय निरीक्षणोपरान्त वन संरक्षक, केन्द्रीय महोदय द्वारा यह अवगत कराया गया था कि परियोजना में प्रभावित कुल 127.1637 हे० वन भूमि के सापेक्ष कनहर परियोजना द्वारा वन विभाग को उपलब्ध करायी जाने वाली समुत्तल्य गैर वन भूमि 132.6126 हे० में पूर्व से पेड़-पौधे लगे हुए हैं, जिसके कारण वनीकरण की भूमि कम हो जायेगी । अतः कनहर परियोजना द्वारा 132.6126 हे० गैर वन भूमि के अलावा कुछ और गैर वन भूमि वन विभाग को उपलब्ध कराया जाय ताकि उस पर भी वृक्षारोपण किये जाने के संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही किया जा सकें । वन संरक्षक, केन्द्रीय महोदय द्वारा दिये गये निर्देश एवं उसके अनुपालन में प्रभाग की अनुपालन आख्या निम्नानुसार अवलोकनार्थ एवं संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

क्र०सं०	वन संरक्षक, (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) द्वारा दिनांक-24.05.2018 को दिये गये निर्देश एवं उसके क्रम में जारी पत्र संख्या- 8बी/यू०पी०/02/31/2018/एफ.सी./219 दिनांक- 20.08.2018	प्रभाग की आख्या
1	2	3
1	Reference is invited to queries sought vide	भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम


this office letter dated 18.04.2018, the compliance of which is awaited. Further , a Site inspection of above Forest proposal for Canal and its distribution system uner Kanhar Irrigation Project in Sonebhadra district was carried out by regional officer on 24.05.2018 in presence of officials of State forest Department and Irrigation department and it was observed that proposed land for equivalent Compensatory afforestation is in linear shape/form and is covered by standing trees and other vegetation which reduces the net area available for plantation. It was also observed that proposed plantation area is susceptible to submergence during flood etc.

The concerned officials were advised to identify equivalent area of proposed plantation by including adjoining villages in such a way that area covered by vegetation is excluded and susceptibility to submergence in further reduced.

It is requested that a view of the above observation a revised proposal of CA land along with Plantation shceme with minimum 1000 plants per hectare and 10 yrs maintenance as applicable may be furnished to this office at the earliest for further processing of the said proposal.

में अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड-तृतीय, पिपरी-सोनभद्र द्वारा रेनुकूट वन प्रभाग के विण्डमगंज रेंज अन्तर्गत ग्राम-कुदरी में 28.1482 हे० अतिरिक्त गैर वन भूमि वन विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराया गया था । उपलब्ध कराये गये अभिलेख एवं मौके की जाँच करायी गयी । जाँचोपरान्त ग्राम-कुदरी की 28.1482 हे० गैर वन भूमि वन विभाग को क्षतिपूरक वनीकरण हेतु लिये जाने वावत उपयुक्त पाया गया है । गैर वन भूमि से संबंधित खतौनी की प्रति, राजस्व मानचित्र, जी०ओ०रेफरेन्स मानचित्र, एवं क्षतिपूरक वनीकरण की 10 वर्षीय योजना की 4-4 प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं उच्च स्तर के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवाय परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ की सेवा में प्रेषित करने की कृपा करें ।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में ।



भवदीय

(Signature)
(एम०पी०सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

संख्या-2458 अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, 17 राणा प्रताप मार्ग, उ०प्र० लखनऊ ।
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र ।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड-तृतीय, पिपरी-सोनभद्र ।
- 4- क्षेत्रीय वन अधिकारी, विण्डमगंज को उनके पत्र संख्या- 90 / 15 दिनांक-14.12.2018 के क्रम में ।

(Signature)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
14/01/2019

(Signature)
(एम०पी०सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
कनहर निर्माण खण्ड-तृतीय
पिपरी-सोनभद्र**

पत्रांक : 736/क0नि0ख0-3,पि0/

दिनांक 24.12.2018

विषय: सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों के पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात् 127.1637 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: (1) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के पत्र सं0-8बी/यू0पी0/02/31/2018/एफ.सी./45 दिनांक 18.04.2018

(2) कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-2982/11-सी-FP/UP/IRRIG/20269/2016, लखनऊ दिनांक अप्रैल 24, 2018

ONLINE PROPOSAL NO : FP/UP/IRRIG/20269/2016

प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट/ओबरा-सोनभद्र।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित के सम्बन्ध में विन्दुवार आख्या निम्नवत है:-

Observ. No.	Observation of GOI	Reply
1	Color coding in the kml files (provided online) as well as in CD of proposed land to be diverted are in a single colour due to which the distinction between forest land and non-forest land is difficult. It should be in the different colours coding.	Kml files में Obra Forest, Renukoot Forest Division और Non-Forest land की Colour coding में फारेस्ट लैण्ड को संकेत तालिका सहित दर्शा दिया गया है।
2	The data provided in CD should be divisions wise.	वन भूमि सम्बन्धित सभी विवरण प्रभागवार रेनुकूट व ओबरा वन प्रभाग की सी0डी0 संलग्न है।
3	The key coordinates of proposed land to be diverted have not be given.	प्रस्तावित भूमि की key coordinate हेतु Bearing chart ग्रामवार बनाकर पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है (सूची संलग्न है)।
4	The propsed CA land for the both divisions i.e. Forest Division, Renukoot and Obra are in linear format. The kml file of proposed CA land shows presence of agricultural land which may be reviewed.	रेनुकूट वन प्रभाग एवं ओबरा वनप्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित होने वाली वन भूमि के सापेक्ष प्रस्तावित गैर वन भूमि Polygon format में है। प्रस्तावित गैर वन भूमि सिंचाई विभाग द्वारा अधिग्रहित कृषक भूमि है जो विभाग के कब्जे/अधिकार में है।
5	Cost Benefit analysis has not been provided as per new guideline of the Ministry.	भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में संलग्न है।
6	CA secheme has not been submitted.	C.A. Scheme पूर्व के प्रस्ताव में पृष्ठ सं0-452 से 455 पर है (प्रति संलग्न है)।

क्र.सं.	बिन्दु	आख्या
7	Alternatives of forest land have not been examined and details not provided.	वन भूमि के अन्य विकल्प हेतु मुख्य नहरों दायी कनहर नहर एवं बाँयी कनहर नहर व इसकी समस्त प्रणालियों के संरेखन का विस्तृत सर्वेक्षण कर प्रभावित वन क्षेत्र इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि वन क्षेत्र न्यूनतम हो एवं जनता को अधिकतम लाभ प्राप्त हों। प्रस्ताव/परियोजना में वन भूमि के उपयुक्तता हेतु प्रस्तावित मुख्य नहरों एवं उसकी समस्त प्रणालियों का एलाइनमेन्ट उत्कृष्ट एवं आवश्यक है, का प्रमाण पत्र दिया गया है। अतः वन क्षेत्र प्रभावित होने का अन्य कोई विकल्प नहीं है (प्रमाण पत्र संलग्न)।
8	FRA certificate has been obtained much earlier than date of submission of proposal by the Agency, which may be explained.	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में दुद्धी तहसील की 62.7805 हे० वन भूमि व रावर्दसगंज तहसील की 0.4498 हे० वन भूमि का FRA Certificate दिनांक 28.12.2014 एवं पुनः रावर्दसगंज व दुद्धी तहसील की अवशेष 63.9334 हे० वन भूमि का FRA Certificate दिनांक 04.04.2016 को जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा जारी किया गया है। इसके आधार पर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव बनाकर रेनुकूट व ओबरा वन प्रभाग को प्रेषित किया गया जिसके उपरान्त विभिन्न आपत्तियों का निराकरण कर रेनुकूट वन प्रभाग (नोडल) द्वारा वर्ष 2016-17 में प्रस्ताव प्रेषित किया गया। इस प्रकार जारी किया हुआ FRA Certificate विभाग द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किये जाने से पूर्व का नहीं है।

1/1/2019
 प्रभारी वन्दो
 कृपा आ० का० के
 ३३
 23/01/2019



(BII)
 अधिशासी अभियन्ता
 कनहर निर्माण खण्ड-तृतीय
 पिपरी-सोनभद्र